सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 03.12.2024

शादी समारोह के दौरान युवक से मारपीट करने वाले 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस को किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना भरथना पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 14.11.2024 को वादी भानू प्रताप पुत्र महाराज सिंह निवासी ग्राम कटैला थाना ऊसराहार जनपद इटावा द्वारा थाना भरथना पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 12.11.24 समय करीब 10.00 बजे रात्रि अपने गांव से बारात मे देवरासई थाना भरथना जनपद इटावा आये हुये थे। उसी बारात मे गांव के ही अखलेश पुत्र तेजराज, सुदेश उर्फ बंटी पुत्र तेज सिंह व रामवीर पुत्र शिवराम बारात के चढ़ते समय वादी के साथ मारपीट करने लगे तथा अखलेश उपरोक्त ने वादी का होंठ दांत से काट लिया।

तहरीर के आधार पर थाना भरथना पर **मु0अ0सं0 300/24 धारा 118(1)/115(2)/352 बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 03.12.2024 को थाना भरथना पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि मु0अ0सं0 300/2024 से संबंधित अभियुक्त **अखलेश पुत्र तेजराम** मौना चौराहे पर कही जाने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर तत्काल थाना भरथना पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **अखलेश पुत्र तेजराम** को आवश्यक बल प्रयोग कर **मौना चौराहे के पास समय 12.05 बजे गिरफ्तार किया गया।**

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध मे थाना भरथना पर मु0अ0सं0 300/24 धारा 118(1)/115(2)/352 बीएनएस में धारा 118(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. **अखलेश पुत्र तेजराम निवासी ग्राम कटैला थाना ऊसराहार जनपद इटावा उम्र 36 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 300/24 धारा 118(1)/118(2)/115(2)/352 बीएनएस थाना भरथना जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- निरी0 श्री देवेन्द्र सिंह प्रभारी थाना भरथना, उ0नि0 ब्रजनंन्दन सिंह, हे0का0 गजेन्द्र सिंह, हे0का0 अजीत कुमार।